"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014— चैत्र 8, शक 1936

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-52/2014/वा. कर (आब.)/पांच (51). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. नियम-8(1)(क), 8(1)(कक), 8(1)(कक-1), नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6), नियम 8(7), नियम 14(1), नियम 14(2), नियम 14(6), नियम 18(6), नियम 18(9), नियम 19(1) एवं नियम 20 में शब्द समूह "एफ. एल. 3" के पश्चात् शब्द समूह "एफ. एल. 3-क" अन्तःस्थापित किया जावे.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.